संख्या–भा.स. 60 / 14–2–2018–800(59) / 2018

प्रेषक,

डा दीपक कोहली,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 24 अप्रैल, 2018

विषय :– आगरा में जल सम्पूर्ति (गंगाजल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ0प्र0 जल निगम आगरा द्वारा विछाई गयी पाइपलाइन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 08 / 33 / 2018 / एफसी / 51 दिनांक 20.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण को दिनांक 18.04.2018 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था, जिसमें कतिपय आपत्तियां की गई है।

2– विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 20.04.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अपेक्षा के कम में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक के उपयोगार्थ अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डा दीपक कोहली)
अनु सचिव।